(22)

निग० 5379/2018/रीवा/भू०रा०

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर म०प्र०

निगरानी प्रकरण क्रमांक

श्री गयाचरण वाजपेयी पिता स्व० श्रीअनंदीप्रसाद वाजपेयी उम्र 56 साल पेशा खेती निवासी ग्राम रतहरा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म०प्र०---------- आवेदक

बनाम

श्री अमृतलाल पाण्डेय पिता स्व० श्री राम कुमार पाण्डेय उम्र 48 साल पेशा खेतीव प्रायवेट नौकरी निवासी ग्राम पथरहा थाना मनगवा हालनिवासी शारदापुरम रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवाम०प्र०

--- अनावेदक

निगरानी विरुद्ध निर्णय वआदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील मनगवा द्वारा प्रथम अपील प्रकरण क्रमांक10ए6/27/ 2017-18 मे दिनांक 29-6-18 को पारित किया गया है, अन्तर्गत धारा 50:ग: म०प्र० भूराजस्व संहितासन 1959।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1- यहकि निर्णय व आदेश अधीनस्थ न्यायालय अनियमित अवैध व त्रुटि पूर्ण होने के कारण निरस्तकिये जाने योग्य है।

2- यहकि आवेदक ने ग्राम पथरहा जन० नं० 357 तहसील मनगवा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1224 व 1225 रकबा क्रमशः2-290 हे० व 0-198 हे० कुल दो किता जुमला रकबा 2-388 हे० रकबे को पंजीकृत

(22)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 05379 / 2018 / रीवा / भू–रा0 जिला

श्री गयाचरण बाजपेयी / श्री अमृतलाल पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
18-12-18	1. आवेदक की ओर से श्री सनत कुमार चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील मनगवां, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 01 / ए–6 / 27 / 2017–18 में पारित आदेश दिनांक 29.06.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 17.01.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1224 व 1225 रकवा क्रमशः 2-290 हे0 व

0-198 हे0 कुल दो किता जुमला रकवा 2-388 हे0 रकवे को पंजीकृत